रजिस्ट्री सं. डी (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 1989/भाद्र 23, 1911
No. 586] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 1989/BGADRA 23, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1989

आयकर

का. आ. 736 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के उपखंड (iv) की मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिपिंग क्रेडिट

एण्ड इन्वेस्टमेंट द्वारा निर्गमित "15 वर्षीय 9% (करमुक्त) एस सी आई सी आई बंधपत्र (श्रृंखला 2)", को उक्त मद के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करती है :।

परन्तु उक्त मद के अधीन फायदा तभी अनुज्ञेय होगा जब ऐसे बंधपत्रों का धारक अपना नाम और धृति उक्त [illegible] है।

[संख्या 8453/फा. सं. 328/40/89-डब्ल्यू टी]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 14th September, 1989

INCOME TAX

S.O. 736(E).—In exercise of the powers conferred by item (h) of sub-clause (iv) of clause (15) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies "15 year-9 per cent. (tax free) SCICI Bonds (Series 2)", issued by the Shipping Credit and Investment Company of India Limited, for the purpose of the said item :

Provided that the benefit under the said item shall be admissible only if the holder of such bonds registers his name and holding with the said Corporation.

[No. 8453|F. No. 328|40|89-WT]

धन-कर

का.आ. 737 (अ) :- केन्द्रीय सरकार, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (XVIc) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिपिंग क्रैडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा निर्गमित "15 वर्षीय -9 (कर मुक्त) एस सी आई सी आई बंधपत्र (श्रृंखला 2)", को उक्त खंड के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करती है :

परन्तु उक्त खंड के अधीन फायदा ऐसे बंधपत्रों के पृष्ठांकन या परिदान द्वारा अंतरण की दशा में तभी अनुज्ञेय होगा जब अंतरिती उक्त कम्पनी को ऐसे अंतरण के साठ दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा सूचित कर देता है।

[संख्या -8454/फा. सं. 328/40/89-डब्ल्यू टी]

भूषण शर्मा, अवर सचिव

WEALTH TAX

S.O. 737 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (xvic) of sub-section (1) of section 5 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby specifies "15 year-9 per cent. (tax free) SCICI Bonds (Series 2)", issued by the Shipping Credit and Investment Company of India Limited, for the purpose of the said clause :

Provided that the benefit under the said clause shall be admissible in the case of transfer of such bonds by endorsement or delivery, only if the transferee informs the said Company by registered post within a period of sixty days of such transfer.

[No. 8454|F. No. 328|40|89-WT]
NUTAN SHARMA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989